

## राष्ट्रीय महलिआयोग के तत्त्वावधान में नए केंद्रीयकृत प्राधिकरण का प्रस्ताव

### चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय महलिआयोग की सफिराशिंग को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूडी मंत्रालय ने सोशल मीडिया जैसे संचार माध्यमों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगतिको देखते हुए महलिआशिष्ट नरिपण (नषिध) अधनियम [Indecent Representation of Women (Prohibition) Act - IRWA], 1986 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

- महलिआयोग एवं बाल विकास मंत्रालय डब्ल्यूडब्ल्यूडी मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक, वहाट्सएप और स्काइप जैसे डिजिटल मैसेजिंग प्लेटफार्मों पर महलिआओं को अश्लील तरीके से पेश करने संबंधी कृत्यों को अवैध घोषित किया जाना चाहयि।]

### क्या संशोधन किया जाने चाहयि:

- वजिज्ञापन की प्रभिाषा में संशोधन किया जाना चाहयि। इसके अंतर्गत डिजिटल संवरप्त या इलेक्ट्रॉनिक संवरप्त अथवा होरडिंग या एसएमएस आदिके ज़रये वजिज्ञापन को शामल किया जाएगा है।
- वितरण की प्रभिाषा में भी संशोधन किया जाना चाहयि। इसमें प्रकाशन, लाइसेंस या कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर अपलोड करने अथवा संचार उपकरण शामल किया जाने चाहयि।
- प्रकाशन शब्द को प्रभिष्ठि करने के लिये नई प्रभिाषा को जोड़ना।
- धारा-4 में संशोधन से कोई भी व्यक्तिएसी सामग्री को प्रकाशति या वितरति करने के लिये तैयार नहीं कर सकता, जिसमें महलिआओं का कसी भी तरीके से अशिष्ट नरिपण किया गया हो।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम 2000 के अंतर्गत प्रदत्त दंड के समान दंड का प्रावधान।
- राष्ट्रीय महलि�आयोग (National Commission for Women-NCW) के तत्त्वावधान में केंद्रीयकृत प्राधिकरण का गठन। इस प्राधिकरण की अध्यक्ष NCW की सदस्य सचिव होंगी और इसमें भारतीय वजिज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतनिधि शामल होंगे तथा महलिआ मुद्राओं पर कार्य करने का अनुभव रखने वाली एक सदस्य होगी।
- केंद्रीयकृत प्राधिकरण को प्रसारति या प्रकाशति किया गए कसी भी कार्यक्रम या वजिज्ञापन से संबंधित शक्तियां प्राप्त करने और महलिआओं के अशिष्ट नरिपण से जुड़े सभी मुद्राओं की जाँच करने का अधिकार होगा।

### पृष्ठभूमि

प्रटी मीडिया के साथ-साथ डिजिटल मीडिया जैसे किंटरनेट, एमएमएस, केबल टेलीविज़न आदि हुत से नए माध्यमों में महलिआओं को आपत्तजिनक तरीके से पेश किया जाता है। इस प्रदर्शन पर रोक लगाने के धर्ये से इन संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है। मूल विधिक को सरवपरथम वर्ष 1986 में लाया गया था, उस समय इसमें वजिज्ञापनों एवं प्रकाशनों, लेखों, चित्रकला आदि माध्यमों में महलिआओं को आपत्तजिनक तरीके से पेश किया जाने पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई थी।